यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी के माह 09/2016 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18/09/2017 से 22/09/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः संचाई खण्ड पुरोला एवं उत्तरकाशी।
   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना		आ धक्य	बचत (समर्पण)
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
2015-16	2700	1,05,28,900.00	96,04,303.00				
2016-17	2700	98,06,000.00	87,97,400.00				
2017-18	2700	73,11,000.00	42,83,888.00				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता
अधीक्षण अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2017को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। प्रतिचयन ..... के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो ‘अ’

-शून्य-

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 1 : वत्तीय नियमो के वपरीत कार्य के निष्पादन से अपूर्ण कार्य पर रु 165.65 लाख का निरर्थक व्यय ।

उत्तराखंड शासन द्वारा केन्द्रपो षत योजना (AIBP) के अंतर्गत ता लका सं. 1 के अनुसार 03 कार्यों हेतु कुल धनरा श रु 256.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2014) थी, जिसके अंतर्गत 90:10 के अनुपात मे केंद्रान्श की धनरा श रु 243.56 लाख एवं राज्याश की धनरा श रु 25.66 लाख थी।

ता लका-01

रु लाख में

योजना का नाम	योजना हेतु कुल स्वीकृति	केंद्रान्श की स्वीकृति धनरा श	राज्याश की स्वीकृत धनरा श	केंद्र से अवमुक्त धनरा श	शासन से अवमुक्त/व्यय धनरा श	केंद्रान्श के रूप मे व्यय धनरा श
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=E-C**
मोरी व0स0 के अंतर्गत 12.60 km नहरों का निर्माण	126.44	113.80	12.64	0.00	92.64	80.00
नौगांव वकास खंड मे 7.50 km नई नहरोके निर्माण की योजना	84.25	75.83	8.43	0.00	53.43	45.00
चन्यलीसौन्ड वकास खंड के छोटी म ण मे नहरो के नवनिर्माण की योजना	45.89	43.30	4.59	0.00	19.58	14.99
कुल योग	256.58	232.93	25.66	0.0	165.65	139.99

कार्यालय अधीक्षण अ भयंता, संचाई मण्डल, उत्तरकाशी के अ भलेखों की लेखा परीक्षा मे पाया गया क मण्डल के अधीनस्थ खंडो द्वारा उपरोक्त 03 योजनाओ पर राज्यांश के रूप मे व्यय की जाने वाली धनरा श रु 25.66 लाख से रु 139.99 लाख अ धक व्यय (कुल धनरा श रु 165.65 लाख) करने के उपरांत भी कार्य अपूर्ण था एवं उस पर कोई कार्य नहीं कया जा रहा था जिससे योजना

स्वीकृति के 45 माह बाद भी न केवल योजना अपूर्ण थी अ पतु आं शक रूप से कए गए कार्य के क्षतिग्रस्त होने की संभावना से भी इंकार नहीं कया जा सकता है।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर मण्डल द्वारा उत्तर मे बताया गया क वन भू म प्रकरण लंबित होने एवं केंद्र से धनरा श प्राप्त न होने के कारण कार्य का निष्पादन नहीं कया जा सका तथा केंद्र से धनरा श अवमुक्त होने की प्रत्याशा मे राज्यांश के रूप मे की जाने वाली धनरा श से अ धक धनरा श रु 139.99 लाख (केंद्र से अपे क्षत धनरा श) का व्यय कया गया। पुनः निष्पादित कार्य के संबंध मे मण्डल द्वारा स्वीकार्य कया गया क कार्य के पूर्ण होने पर ही निष्पादित कार्य को क्षति से बचाया जा सकता है।

वभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू म का अ धग्रहण/ उपलब्धता सुनिश्चित क जानी चाहिए थी एवं स्वीकृती की शर्तो के अनुसार धनरा श उन्ही योजनाओ के क्रयानव्यन हेतु एवं उसी सीमा तक व्यय की जानी चाहिए जितना अनुमोदन एवं जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है।

अतः वभाग द्वारा वत्तीय नियमो का पालन न करते हुये न केवल राज्यांश की सीमा से रु 139.99 लाख का अ धक व्यय कया गया अ पतु कार्य पर कुल व्यय रु 165.65 लाख व्यय के बावजूद कार्य अपूर्ण एवं अवरुद्ध रहने (03/2017) के कारण इस पर कया गया व्यय एक निरर्थक व्यय था, का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1 : वभागीय श थलता एवं अनुश्रवण की कमी के कारण अपूर्ण कार्य पर रु 23.64 लाख का अलाभकारी व्यय।

अधीक्षण अ भयंता, संचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी के अ भलेखो की लेखा परीक्षा मे पाया गया (सतंबर 2017) क उत्तराखंड शासन द्वारा एस॰सी॰एस॰पी॰ मद मे खंड पुरोला मे पासा नहर (वकास खंड मोरी) के निर्माण की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति रु 104.65 लाख की प्रदान की गयी थी (मार्च 2007)। MPR माह 08/2017 के अनुसार कार्य पर मार्च 2016 तक कुल जिसके व्यय रु 23.64 लाख का था तथा इसके उपरांत कार्य पर कोई प्रगति नहीं थी। मण्डल स्तर पर उक्त कार्य को निष्पादित कराने से संबन्धित गठित अनुबंध से संबन्धित कोई भी सूचना उबलब्ध नहीं थी। अतः स्वीकृति के 10 वर्षो बाद भी कार्य मे आं शक प्रगति होने एवं कार्य अवरुद्ध रहने के कारण इस पर कया गया व्यय एक अलाभकारी व्यय था।

उक्त क ओर इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर न देते हुये बताया गया क अनुबंध मण्डल स्तर पर नहीं गठित कया गया था तथा कार्य मे अवरोध वन भू म प्रकरण के कारण था।

अतः वभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क वभाग द्वारा कार्यो के प्रगति का कोई अनुश्रवण नहीं कया जा रहा था और न ही वभाग द्वारा कार्य से संबन्धित आवश्यक दिशा निर्देश / साक्ष्य उपलब्ध कराया जा सका था। अतः वभागीय श थलता के कारण अपूर्ण कार्य पर रु 23॰64 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
N/A		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
N/A				

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री प्रेम संह पंवार	अधीक्षण अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. NIL

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II